उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग2-
संख्या–क0नि0–2– 1709 /ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(28)–2017
लखनऊ:: दिनांक:: 14 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, परिषद की सिफारिशों पर, राज्यपाल, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक 30 जून, 2017, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात् :-

(i) तालिका में, -

(क)क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

(क) मद(iii) में, स्तम्भ (3) में, शब्द "सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी इकाई" रख दिए जाएंगे ;

(ख) मद (vi) में, स्तम्भ (3) में शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी इकाई" रख दिए जाएंगे ;

(ग) मद (iii) और (vi) में, स्तम्भ (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः-

"परन्तु जहां सेवाएं किसी सरकारी इकाई में प्रदान की जाती है, वहां उन्हें यथास्थिति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में उक्त इकाई द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था";

(घ) मद (vii) में, स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में यथापरिभाषित कार्य संविदा की समग्र पूर्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण या	2.5	जहां किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती हैं, वहां उन्हें यथास्थिति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा

किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से मिटटी का कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य के 75% से अधिक है) सम्मिलित है।		सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए ।
(viii) समुचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय कार्य संविदा के संबंध में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में और सहयुक्त सेवाओं में यथापरिभाषित कार्यसंविदा की समग्र पूर्ति।	6	-
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न निर्माण सेवाएं ।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए, स्तम्भ (5) में, शब्द "या" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाएगा ;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर यान द्वारा यात्रियों का परिवहन, जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित हो।	2.5	परन्तु एक ही प्रकार के कारबार (अर्थात् किसी मोटर यान में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर यान को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) में इनपुट सेवा के इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न , सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय न लिया गया हो । [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
	या	
	6	-";

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (v) के स्थान पर, स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिए जायेंगे, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	परन्तु सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया हो

		[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-
(vi)उपरोक्त **(i), (ii), (iii), (iv)** और **(v)** से भिन्न माल परिवहन सेवाएं	9	-";

(ङ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर यान को किराए पर लेना, जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की गयी हो	2.5	परन्तु एक ही प्रकार के कारबार में इनपुट सेवा के इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर क्रेडिट (अर्थात् किसी मोटर यान में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर यान को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) न लिया गया हो। [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-";

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों में मद (v) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दिया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए मोटर यानों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े सामान माल की पूर्ति पर यथाप्रयोज्य राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोट:- इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कुछ भी 1 जुलाई, 2020 को या उसके पश्चात लागू नहीं होगा।	-
(vi) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv),और (v) से भिन्न वितीय और संबंधित सेवाएं	9	-";

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, स्तम्भ (3) और इससे संबंधित प्रविष्टियों में मद (vi) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायेंगे, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए मोटर यानों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े सामान माल की पूर्ति पर यथाप्रयोज्य राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोट:- इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कुछ भी 1 जुलाई, 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगा।	-
(vii) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना पट्टे पर या किराये की सेवाएं,	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े सामान माल की पूर्ति पर यथाप्रयोज्य होने वाले राज्य कर की समान दर	-";

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, -

(i) मद (i) में, उप-मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद;";

(ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद बढ़ा दिया जाएगा:-

"(घक) अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से एसजीसटी लगती है;";

(iii) मद (i) में, उप-मद (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मदें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: -

"(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के अधीन आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;

(छ) उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के अधीन आने वाले खुदरा ब्रिक्री हेतु रखे जाने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन के सिवाय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के अधीन आने वाले सभी उत्पाद ;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन 1975) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के अधीन आने वाली मिट्टी-ईंटों का विनिर्माण" ;

(iv) स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों में मद (i) के पश्चात् निम्नलिखित मदें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(ik) निम्नलिखित के संबंध में फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएं- (क) छाते का विनिर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रतिशत की दर से एसजीएसटी लगती है ।	6	-";

(v) मद (ii) में, उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 2.5 प्रतिशत की दर से एसजीएसटी लगती है ।";

(vi) स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों में मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(iiक) अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी माल के मुद्रण, जिस पर 6 प्रति शत की दर से एसजीएसटी लगती है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित माल पर किसी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।	6	-";

(vii) मद (iii) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "और (ii)" के स्थान पर अंक, कोष्ठक, अक्षर और शब्द ", (iक), (ii) और (iiक)" रख दिए जायेंगे ;

(झ) क्रम संख्या 27 के समक्ष, स्तम्भ (3), (4) और (5) एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दिया जायेगा, अर्थात्: -

(3)		(4)	(5)
(i)	अध्याय 48 या 49 के अधीन आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं [समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं(जर्नल्स) और पीरियोडिकल्स सहित], जिन पर 6 प्रति शत या 2.5 प्रति शत या शून्य की दर से एसजीएसटी लगता है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हों।	6	-";

(ii) पैराग्राफ 2 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "मद (i) पर" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ))], मद (vi) [उप-मद (ग)]" रख दिए जायेंगे;

(iii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्:-

"(ix) "सरकारी प्राधिकरण" का तात्पर्य बोर्ड या किसी अन्य निकाय से है जो

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा गठित किया गया हो; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो, और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अधीन किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(x) "सरकारी इकाई" का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय (जिसमें सोसाइटी, न्यास, निगम भी सम्मिलित हैं) से है जो,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा गठित किया गया है;

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है"।

यह अधिसूचना तारीख 13 अक्टूबर ,2017 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव